निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 276) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
6 मई 2020

एस० ओ०**119** दिनांक 6 मई 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल , वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 101 दिनांक 29 जून 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 562 दिनांक 29 जून 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं , लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं , देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र०सं० (1)	**पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग** (2)	**ब्याज की दर** (3)	**कर अवधि** (4)	**शर्त** (5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8) 793)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

6 मई 2020

एस० ओ० 119 दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–8)793)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव,

The 6th May 2020

S.O. 119 Dated 6th May 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 101 dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 562 dated the 29th June, 2017, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:--

Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Rate of interest (3)	Tax period (4)	Condition (5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 29th day of June, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
			March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or

				before the 6th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-8)-793)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 276-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in